Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

राजनीति में महिलाओं का बढ़ता वर्चस्व व महिला अधिकारों के प्रति सजगता

ध्वनी सिंह
शोधार्थी-पीएचडी, पत्रकारिता एवं जनसंचार
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, उ. प्र.
ईमेल: dhwanisingh29@gmail.com

सारांश

वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विद्यमान है। यह प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली महिला एवं पुरूष दोनों को समान अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप पूरे विश्व में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक समानता, स्वतंत्रता एवं निर्णयकारी संस्थाओं में भागीदारी हेतु विभिन्न राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। आज विकसित एवं विकासशील देशों में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार करने तथा उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के प्रयास हर जगह किये जा रहे है। परिणामस्वरूप आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण विकसीत हो रहा हैं। महिलाओं को प्रशासन एवं राजनीति में समानाधिकार प्रदान करने में अग्रणी प्रयास करने वाले देशों में सयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रास, ब्रिटेन, डेनमार्क, नार्वे, फिनलैण्ड जैसे देशों में साथ ही आज रूस जैसे साम्यवादी देश, ईरान जैसे कट्टरपंथी राष्ट्र तथा अनेक अल्पविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं को राजनीतिक दृष्टि से शक्ति संपन्न बनाया जा रहा है तथा महिलाएं अपनी प्रभावशाली भूमिका में वैश्विक राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हो रही है।[1]

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसकी अपनी सभ्यता व संस्कृति है, जिस पर वह गर्व करता है। भारत एक विशाल व विकासशील देश है। इसकी कला, साहित्य दर्शन इसको मानव के अध्यात्म जीवन से जोड़ते है जिसमें महिलाओं की भूमिका भी अहम होती है। महिलाओं के बिना संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। पुरूष प्रधान समाज यह कभी स्वीकार नहीं कर पाया की महिलाओं को उसका हक मिले, जिसने उसके जीवन में अतुलनीय योगदान दिया है। वैद्धिक काल में शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग की बालिकाओं व राजकुमारियों को ही दी जाती थी जो अपवाद स्वरूप हैं। बौद्ध काल में भी महिलाओं की दशा में विशेष सुधार नही हुआ। मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया, उस समय शिक्षा को ही एक सामाजिक कर्तव्य नही माना गया था महिला शिक्षा तो दूर की बात थी। ब्रिटिश काल में शिक्षा को अवश्य बढ़ावा मिला, लेकिन नगण्य रही। पुरूष-प्रभुता समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण विकसीत हुआ, उसके अंतर्गत काम चलाने लायक अल्प शिक्षा व घर-गृहस्थी की देखभाल तक उसकी सीमाएं निर्धा रित की गई।[2]

वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात भारतीय समाज में जो बदलाव आया है इसके पश्चात महिला शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा। संवैधानिक आदेश को पूरा करने के लिए भारतीय संसद ने अपने सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

की स्वतंत्रता प्रदान करने, सामाजिक स्तर और अवसर की समानता देने और सभी नागरिकों के बीच भाईचारे को बढावा देने, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्टकी एकता सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर विभिन्न कानून बनाये हैं। संसद ने महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव दूर करने और उन पर अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम के विरूद्ध विधायी प्रस्ताव भी पारित किये हैं। कानून के ढॉचे में महिलाओं और उनकी विशेषताओं, आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा गया है। इस प्रकार भारत का संविधान नारी हितों की दिशा में एक महत्वपूर्ण है।

कुंजी शब्द: राजनैतिकी महिलाएं, भारतीय संविधान, महिला अधिकार, सहभागिता

साहित्य का पुनरावलोकन

साहित्य पुनरावलोकन शोध की गुणवत्ता को दर्शाता है, साहित्य की समीक्षा द्वारा शोध में होने वाली गलतियों को समझने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक शोध को नयी दिशा प्रदान करने हेतु सहायता मिलती है। प्रस्तुत शोध में अब तक जितने अध्ययन हुए है उनके पूर्व ज्ञान प्राप्त करने एवं ज्ञान प्रदान करने में सहायता मिलेगी। प्रस्तुत अनुसंधान का अध्ययन पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी एवं इन महिलाओं द्वारा उपयोग किए जा रहे संचार के विविध माध्यमों के संदर्भ में है।

1 - **(नावरिया,2016)** लेखक ने इसमें बताया है कि भारतीय समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग ग्रामीण महिलाएँ होती है। महिलाओं को सामाजिक विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए उन्हें वर्तमान राजनीति में उनकी भूमिका की व्यवस्था में सहभागी बनाया जा रहा हैं। महिला कल्याण तथा उनकी बौद्धिक-आर्थिक क्षमताओं के विकास से आगे बढ़ते हुए उनहें पंचायतीराज संस्थाओं में पदाधिकारी बनाया गया है। इससे उन्हें अपने विकास की ही नहीं बल्कि अपने सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तनों के लिए ग्रामीण विकास में सक्रीय सहभागिता की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई है।

2- **(हुसैन, 2016)** लेखक के अनुसार आधुनिक समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है? कैसी है? तथा कैसी होनी चाहिए? आधुनिक समाज में महिलाओं के लिए कौन-कौन से विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है? आजादी के बाद नारी सुधारक क्या प्रयास किये गये हैं? सरकार द्वारा राजनीति में महिलाओं की क्या स्थिति है? तथा कृषि विकास में महिलाओं का योगदान कितना है? तथा पत्रकारिता के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारा गया है क्या? टेलीविजन क्षेत्र में नारीयों के लिए नौकरियों के कितने अवसर हैं? साथ ही पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाया गया है और आधुनिक समाज में नारी की शिक्षा कैसी है तथा आधुनिक समाज में नारी का योगदान कितना रहा है आदि बातों को प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से अवगत कराया गया है।

3- **(अब्दुल 2015)** लेखक के अनुसार प्रस्तुत किताब में यह बताया गया है कि भारत में महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने में राजनैतिक, आर्थिक, शिक्षा, कृषि और आदि का अहम योगदान रहा है और साथ ही में एन.जी.ओ. का भी अहम योगदान रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य स्थिति और नई-नई चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया जाए।

4-**(निर्वाण, 2014)** प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बताया है कि पंचायत राज में महिलाओं की कैसी स्थिति है तथा महिला सशक्तीकरण की क्या अवधारणा है। पंचायती राज में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

बारे में बताया गया है। पंचायती राज में महिलाओं की स्वास्थ्य परियोजनाओं के बारे में बताया गया है। राजस्थान में पंचायती राज में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण को बताया गया है। अतः लेखक ने प्रस्तुत पुस्तक के माध्यम से महिला सशक्तीकरण की यथार्थता तथा महिला सशक्तीकरण हेतु सुझाव भी दिए हैं।

शोध का उद्देश्य

1- भारतीय राजनीति में महिलाओं के अधिकार के प्रति सजगता।

2-भारतीय संविधान में महिलाओं को कितने अधिकार प्रदत्त किये गए हैं।

3- राजनीति में महिलाओं को कितना अवसर मिला है।

उपकल्पना

1- महिलाओं में राजनीति के प्रति अत्यधिक जागरूकता देखने को मिलती है।

2-महिला अधिकारों के प्रति संविधान में महिला सशक्तिकरण का उल्लेख है।

3- महिलाओं में राजनीतिक प्रवृत्ति का आधुनिकतम विकास हुआ है।

शोध प्रविधि

शोध कार्य को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण, निदर्शन, तुलनात्मक, अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

भारतीय राजनीतिः महिला अधिकार एवं सहभागिताः-

26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किये गये और शासन व्यवस्था के प्रतिनिधि लोकतंत्ररूप को अपनाया गया है। इसमें सभी नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता हेतु समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। जिसके अंतर्गत राज्य के नागरिक शासन संचालन का दायित्व अपने मताधिकार द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपते हैं। अतः मताधिकार की प्रक्रिया जो निर्णय-निर्माण में अहमभूमिका अदा करती है, राजनीतिक सहभागिता है। नार्मन एचनीई तथा सिडनी बर्बा के शब्दों में, "राजनीतिक सहभागिता आम लोगों की वे विधि सम्मत गतिविधियां है जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना होता है।" किंतु वर्तमान समय में लोकतांत्रिकविकेंद्रीकरण के कारण राजनीतिक सहभागिता मात्र मतदान एवं राजनीतिक सक्रियता तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक 'सत्ता' में भागीदारिता सें भी जुड गई हैं। 'सत्ता' में भागीदारी होने का अर्थ है- शक्ति प्राप्त करना।

वर्तमान में राजनीतिक संबंधों का अध्ययन 'शक्ति' संबंधों के तहत ही किया जाता है और वैध शक्ति (सत्ता) ही वह प्रमुख प्रक्रिया है जो समाज की अन्य उपलब्ध व्यवस्थाओं एवं संरचनाओं को निर्देशित, संचालित व प्रभावित करती है। इसलिए राजनीतिक सहभागिता महिलाओं में जागरूकता लाने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, जहॉ से 'शक्ति' प्राप्त कर अन्य क्षेत्रों में उपस्थित महिला सहभागिता के मार्ग के बाधक तत्वों को शीघ्र समाप्त किया जा सकता है। इसी कारण राजनीतिक सहभागिता, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण मांग बन गई है। इस हेतु महिला वर्ग, महिला आरक्षण विधेयक पारित करवाने हेतु सघंर्ष रत है, जो महिलाओं को राज्य विधानसभाओं व संसद में एक तिहाई सीटे आरक्षित करने का प्रावधान करता है।[3]

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

भारत में सरकार का बुनियादी दृष्टिकोण, सामाजिक क्षेत्र में कल्याणकारी नीतियों के तहत महिलाओं को लक्ष्य बनाने का रहा है। 1974 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं से संबंधी मुद्दों में कल्याणोन्मुखी पहलुओं पर बल दिया गया। पॉचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के कल्याण की बजाय उनके विकास पर बल दिया जाने लगा। छठी पंचवर्षीय योजना में, महिलाओं के विकास के बारे में पृथक अध्याय जोडा गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के उपाय किये गये। सातवी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। आठवी पंचवर्षीय योजना के तहत विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लाभ से महिलाएं वंचित न रहें।

इस प्रकार विकास की बजाय महिलाओं को अधिकार प्रदान करने पर बल दिया गया। सरकार द्वारा महिलाओं के लिये कई विशेष नीतियॉ अपनाई गई। योजनार्गत खर्च में भी उत्तरोत्तर बढोतरी की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिये चार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था जो आठवीं पंचवर्षीय योजना में बढकर लगभग बीस करोड रूपये हो गया।[4]

भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी इतिहास बहुत पुराना रहा है। 20वीं सदी में भारतीय संस्था, राष्टीय महिला परिषद तथा अखिल भारतीय महिला संघ जैसी अनेक संस्थाओं का जन्म हआ। 1917 में सरोजनी नायडू के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं के एक शिखर मंडल ने, पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर मताधिकार की मांग, ब्रिटिश संसद के सामने पेश करके स्त्रियों के अधिकार के लिए आवाज उठाई। बाद में मार्गरिट कंजिस ने संवैधानिक सुधारों के लिए बनी मांटेस्क्यू और चेम्सफोर्ड समिति के सामने मताधिकार की मांग रखी तब यह बात प्रांतीय सरकारों के विवेक पर छोड़ दी गई। अंततः1921 के सुधार अधिनियम के अधीन महिलाओं को वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया। सबसे पहले मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला। 1926 तक सभी प्रांतों में महिलाओं को सीमित मताधिकार और प्रांतीय विघानसभा में चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। 1925 में भारतीय महिला परिषद की सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1927 में 'आल इंडिया वूमैंस कांफ्रेस' की स्थापना हुई जिसने सामाजिक सुधारों के साथ राजनीतिक जाग्रति लाने और महिलाओं के सामने अधिकरों के लिए संघर्ष किया और सफलता भी पाई।[5]

भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार एवं प्रावधान

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश सदियों की दासता व उतार चढ़ाव के पश्चात नये गणराज्य के रूप में उभर कर सामने आया। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गए हैं। इस के साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना बीएचआई की गयी है।महिलाओं के अधिकारों के लिये भारतीय संविधान मे निम्न संवैधानिक प्रावधान किए गए है।

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

संवैधानिक प्रावधान

1. (अनु. 14) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार "भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। समानता से यहाँ अभिप्राय यह है कि स्त्री व पुरुष मे किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों का प्राप्त होगा।

2. (अनु. 15): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद भाव नहीं करेगा भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, साथ ही इस अनु. के खंड-3 मे स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गयी है।

3. (अनु. 19) :अनु. 19 महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र मे आवागमन कर सकें।किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना गया है।

4. (अनु. 23-24): अनु. 23 व 24 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान-सम्मान के विपरीत मानते हुऐ उनकी खरीद-फरोख्त, वैश्यावृत्ति कराना आदि को दंडनीय अपराध कि श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए सन 1956 मे 'वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।

5. (अनु. 39) : अनु. 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनु. 39 (द) के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। जिससे उन्हें आर्थिक न्याय कि प्राप्ति हो सके।

6. (अनु. 42) : अनु.42 महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करता है।

7. (अनु. 46) : अनु. 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।

8. (अनु. 51) : संविधान के भाग 4 के अनु. 51 (क) तथा (3) मे स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति कि गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार कि प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान-सम्मान के खिलाफ हों।

9. (अनु. 243) : अनु. 243 (द) के (3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों कि कुल संख्या के 1ध्3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे तथा चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रो मे आवंटित किए जाएंगे।

10. (अनु. 325) : अनु. 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।[6]

The Asian Thinker

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

विधिक उपबंध

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गए है। ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेद भाव से उनकी सुरक्षा हो सके।भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरुद्ध व्यवस्था की गयी है।

1. (धारा 292 से 294 के तहत) : धारा 292 से 294 के तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पर रोक लगाई गयी है।इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रियो के अश्लील चित्र प्रदर्शित किए जाते है अथवा कोई खरीद-फरोख्त की जाती है अथवा अश्लील प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एवं 2 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान किया गया है।

2. (धारा 312 से 318 के तहत) : धारा 312 से 318 के तहत यदि कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है, अजन्मे शिशुओं को नुकसान पहुंचाता है, शिशुओं को अरक्षित छोड़ता है तथा जन्म छिपाता है तो इस कार्य के लिये दंड का प्रावधान किया गया है।

3. (धारा-354) : धारा 354 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा-भंग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

4. (धारा 361) : धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्षसे कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके संरक्षक के संरक्षता के बिना संपत्ति केया उसे बहला-फुसला कर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोषी होगा।तथा उसके खिलाफ धारा 363 से 366 मे दंड का प्रावधान किया गया है।

5. (धारा-372) : धारा 372 के तहत यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वैशयावृति के प्रयोजनार्थ बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

6. (धारा 375-376) : धारा 375 मे बलात्कार को परिभाषित किया गया हैतथा धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है।

7. (धारा 498) : धारा 498 (अ) के अनुसार यदि कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार उसकी पत्नि के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है अथवा दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।

8. (धारा 509) : धारा 509 के अनुसार यदि कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई इस प्रकार का कार्य करता है।जिससे किसी स्त्री की एकांतता पर अतिक्रमण होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोना से दंडित किया जा सकता है।[7]

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

विभिन्न अधिनियम

हमारे देश मे सदियों से चली आ रहि कुरीतियों एवं कुप्रथाओं से देश को मुक्त करानेहेतु बहुत से अधिनियम पारित किए गए है। इसके साथ ही महिलाओं को सुरक्षा एवं अधिकार प्रदान करने हेतु भी अधिनियम पारित किए गए है। भारतीय संविधान मे महिलाओं के लिए पारित किए गए विभिन्न अधिनियम निम्न है.

1. राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948
2. दि प्लांटेनस लेबर अधिनियम 1951
3. परिवार न्यायालय अधिनयम 1954
4. विशेष विवाह अधिनियम 1954
5. हिंदू विवाह अधिनियम 1955
6. हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 (संशोधन 2005)
7. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
8. प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम 1961 (संशोधित 1995)
9. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 10. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971
11. ठेका श्रमिक (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) अधिनियम 1976
12. दि इक्वल रेयूनरेशन अधिनियम 1976
13. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
14. आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम 1983
15. कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1986
16. इंडिकेट रिप्रेसेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986
17. कमीशन ऑफ सती (पृवेन्शन) एक्ट 1987
18. घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम
19. आदि[8]

साथ ही महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा अन्य सराहनीय प्रयास भी किए गए है। जिनमें भारत सरकार द्वारा 1985 मे महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 मे राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना प्रमुख रूप से है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष भी घोषित किया गया है। इसी के साथ भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हित एवं विकास के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता रहा है। जिनमे बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ योजना, इंदिरा महिला योजना, सरस्वती सांयकाल योजना, स्वयं सिद्धा योजना, महिला समाख्या योजना इत्यादि प्रमुख है।

निष्कर्ष:-आधुनिक भारतीय राजनीति में कई ऐसी महिलाएं रही हैं, जिनकी ऐतिहासिक भूमिका से हम भलीभांति परिचित है। स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान से लेकर आजाद भारत में सरकार चलाने तक में महिलाओं की

The Asian Thinker

Year-4 Volume: III, July-September, 2022 Issue-15 ISSN: 2582-1296 (Online)
The Asian Thinker
A Quarterly Bilingual Peer-Reviewed Journal for Social Sciences and Humanities
Website: www.theasianthinker.com Email: asianthinkerjournal@gmail.com

राजनीतिक भूमिका और पहल अहम रही है। इसके बावजूद जब राजनीति में महिला भागीदारी की बात आती है तो आंकड़े बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं। हालांकि महिला वोटर्स की अगर बात करें तो स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। वर्ष 1980 से 2014 के बीच महिला वोटर्स की संख्या में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। विश्वस्तर पर अगर भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो भारत 193 देशों में 141 वें स्थान पर है। विश्वस्तर पर संसद में 22.6 फीसदी महिलाओं की भागीदारी है, जिसमें भारत का औसत सिर्फ 12 फीसदी है।[9]

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों की राजनीति में महिलाए सशक्त तो है ही, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। ऐसे में राजनैतिक महिलाएं मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने के साथ ही वर्तमान राजनीति के बदलावों को जानने के लिए मीडिया पर निर्भर हैं। ये किस प्रकार मीडिया का उपयोग कर मतदाताओं में अपनी पहचान बनाती है साथ ही अन्य राजनैतिक पार्टियों के स्थिति को समझती हैं? तथा जनमाध्यमों का उपयोग उनके द्वारा किस प्रकार किया जाता है? आदि तथ्यों को जानने के लिए प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही यह शोध अपने आप में राजनीति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण का मूल्यांकन करने में भी अहम होगा एवं इस क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ सूची

1. चतुर्वेदी, इ, एण्ड अग्रवाल, स. (2013), महिला नेतृत्व एवं राजनीतिक सहभागिता, जयपुर: अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्टीब्यूटर्स।
2. . (2016, मार्च, 8), राजस्थान पत्रिका।
3. (2002, 04), योजना।
4. जोशी, आ.प., एण्ड मंगलानी, र. . (म्केण्),. (2000), पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता, जायपुर: हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
5. पवार, म. . (1990), नारी उत्पीड़न और कानून, नई दिल्ली: राधा पब्लिकेश।
6. Kumar, D.H.k ~; 2019, 01 12), भारतीय संविधान और महिलाओं के अधिकार International Journal of Humanities and Social Science Research, 5;1),pp.68-70.
7. वही, पृ0-68-70।
8. वही।
9. गोपालन, ड.स. (2002), समानता की ओर अपूर्ण कार्य, भारत में महिलाओं की स्थिति-2001, राष्ट्रीय महिला आयोग।

***